अध्याय 13

मामलों का निपटान और आदेशों की घोषणा

नियम 99 : मामलों का निपटान

किसी आवेदन, याचिका, अपील आदि की प्राप्ति पर अपील अधिकरण पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझेः

परन्तु अपील अधिकरण किसी अपील पर विचार करने के पश्चात उसे, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, संक्षेप में खारिज कर सकेगा, यदि अपील अधिकरण की यह राय है कि उस पर कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं।